मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल,दिनांक 02/06/2019

क्रमांक एफ5-ए-1/2018/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्होंने तत्समय प्रचलित मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1965 के नियम 36(क) के अंतर्गत चयन वर्ष 01 जनवरी की सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में 06 (छः वर्ष) की सेवा पूर्ण की है, को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन के लिये दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में रिक्तिओं के आधार पर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु दिनांक 05.03.2018 को विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसमें श्री रामजीलाल जाटव, सहायक संचालक, के विरूद्ध विभागीय जाचं संस्थित होने से श्री जाटव के चयन वेतनमान की अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी गई।

2/ श्री रामजीलाल जाटव के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में आयुक्त कोष एवं लेखा के आदेश दिनांक 22.04.2019 द्वारा श्री जाटव को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए हुए विभागीय जांच प्रकरण प्रकरण समाप्त किया गया है।

3/ श्री रामजी लाल जाटव के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उन्हें वरिष्ठ वेतनमान में चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा परिभ्रमण के माध्यम से विचार किया गया। विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 12 में कार्यरत श्री रामजी लाल जाटव को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृति किये जाने का दिनांक
1	2	3	4
1	श्री रामजी लाल जाटव	जिला कोषालय अधिकारी राजगढ़	दिनांक 01.01.2018 से

4/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 01.01.2018 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि **'कार्य नहीं वेतन नहीं'** के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

5/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

2/6/2020

(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ5-ए-1/2018/ई/चार **भोपाल, दिनांक 02/06/2020**

प्रतिलिपिः-

1. सचिव वित्त के निज सहायक
2. आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल,
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा भोपाल,
4. जिला कोषालय अधिकारी, राजगढ़,
5. संबंधित अधिकारी,..
6. गार्ड फाईल.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल,दिनांक 02/06/2020

क्रमांक एफ 5-ए-1/2018/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्होने तत्समय प्रचलित मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1965 के नियम 36(क) के अंतर्गत चयन वर्ष 01 जनवरी को सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में 06 (छः वर्ष) की सेवा पूर्ण की है, को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन के लिये दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में रिक्तिओं के आधार पर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु दिनांक 05.03.2018 को विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसमें श्रीमती नेहा कलचुरी, सहायक संचालक, मध्यप्रदेश वित्त सेवा के गोपनीय प्रतिवेदन उपलबध न होने इन्हें परिभ्रमण में रखा गया था।

2/ चयन समिति की बैठक दिनांक 05.03.2018 के अनुक्रम में परिभ्रमण में रखे गये अधिकारियों को चयन वेतनमान दिये जाने हेतु परिभ्रमण समिति की बैठक दिनांक 17.07.2018 को संपन्न हुई । उक्त बैठक के समय जिला कोषालय देवास से श्रम न्यायालय देवास द्वारा राशि रूपये 4,37,89,102/- करोड़ के फर्जी आहरण का प्रकरण शासन के संज्ञान में था, इस प्रकरण में राशि रूपये 1,26,54,469/-करोड का अनियमित आहरण श्रीमती कलचुरी के कार्यकाल का भी था। प्रकरण की जांच विचाराधीन होने के कारण उनके नाम को यथास्थिति रखने का निर्णय लिया गया। दिनांक 01.05.2019 को आयोजित परिभ्रमण समिति की बैठक में श्रीमती कलचुरी के पूर्व में अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने से उनके नाम पर पुनः विचार किया गया। विभागीय चयन समिति द्वारा श्रीमती नेहा कलचुरी के विरूद्ध तत्समय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु जारी कारण बताओ सूचना पत्र के अंतिम निर्णय के अध्यधीन वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन किए जाने की अनुशंसा बंद लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

3/ सुश्री नेहा कलचुरी के विरूद्ध दिनांक 02.02.2019 को जारी किए गए कारण बताओ सूचना पत्र के अनुक्रम में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर के आधार पर पर्यवेक्षण के दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण सजगता बरतने हेतु सचेत करते हुए विभागीय आदेश दिनांक 02.11.2019 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया ।

4/ श्रीमती नेहा कलचुरी के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उन्हें वरिष्ठ वेतनमान में चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा परिभ्रमण के माध्यम से विचार किया गया। विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में

विनिर्दिष्ट लेवल 12 में कार्यरत श्रीमती नेहा कलचुरी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रं.	**अधिकारी का नाम**	**वर्तमान पदस्थापना**	**वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृति किये जाने का दिनांक**
1	2	3	4
1	श्रीमती नेहा कलचुरी	जिला कोषालय अधिकारी देवास	दिनांक 01.01.2018 से

5/ उपरोक्त अधिकारी को वास्तविक रूप से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 01.01.2018 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रह्रण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि **'कार्य नहीं वेतन नहीं'** के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

6/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

02/06/2020

(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 5-ए-1/2018/ई/चार, भोपाल, दिनांक 02/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. सचिव वित्त के निज सहायक
2. आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल,
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, उज्जैन
4. जिला कोषालय अधिकारी, देवास,
5. संबंधित अधिकारी,..
6. गार्ड फाईल.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग